-संख्या--516 रजिस्टर्ड ने० ए० ही --साइसेन्स सै० डब्ल्यू० पी०---41 ĥ ( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) ! सरकारां गजह, SH उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारवा 17 विधायी परिशिष्ट খান--<u>1,</u>প্ৰণ্ড (ক) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुकवार, 20 ग्रगस्त, 1982 🌡

श्रावण 29, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार<sub>ी -</sub>

,वधायिका 'ग्रनुभाग──1

संख्या 1548 / ,सत्नह-वि0-1-104-1980 लखनऊ, 20 अगस्त, 1982

> ग्रधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के डाधोन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विविध (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 11 मई, 1982 ई0को अनुमति प्रदान की भीर वह उत्तर प्रदेश भाधिनियम संख्या 20 सन् 1982 के हरूप में सर्वसाधारण की सूचनाई इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

नुउत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982]. 🤖 🌡

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1982)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

रत्तर प्रदेश जमीदारी-विनास मौर भूमि-व्यवस्था प्रधिनियम, 1950, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, जौनसार वावर जमीदारी-विनास म्रौर भूमि व्यवस्था प्रधिनियम, 1956, उत्तर प्रदेश जोत चक्वन्दी म्रधिनियम, 1953, उत्तर प्रदेश भ्रधिकतम जोत सीमा म्रारोपण म्रधिनियम, 1960 मौर उत्तर प्रदेश विधि (विहार से भ्रन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) म्रधिनियम, 1976 का मग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैती तवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

मह्याय एक

्रप्रार्शनिक

बावया ।

20

1.

. \*÷

1---(1) मह अधिनियम डतार प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहां

संक्षिप्त नांग झौर प्रारम्भ उत्तर प्रदेश श्रसाधारण गजट, 20 भ्रगस्त, 1982

(2) धारा 9, घटठारह ग्रगस्त, 1980 को प्रवृत्त समझी जायेगी, धारा 19 पहली जुलाई, . 1976 को प्रवृत्त समझी जायेगी, धारा 2 से 7 और 12 से 14 और 27 तान जून, 1981 को प्रवृत्त समझी जायेगी तथा धारा 8, 10, 11, 15 से 18 और 20 से 26 दस नवम्बर, 1980 को प्रवृत्त समझी जायेगी ग्रीर शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

÷ 1

# म्रध्याय दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था ग्रधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या संगोधन

1.51

2---उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भमि-ब्यवस्था ग्रधिनियम, 1950 की, जिसे मागे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, घारा 122 ख में, उपधारा (1) से 1 सन् 1951 की (4-क्स) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, प्रयति---

> "(1) जहां इस ग्रधिनियम के उपवन्धों के ग्रधीन किसी गांव सभा था किसी स्थानिक आधिकारिकी में निहित किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी जाय या उसका **द्**विनियोजन किया जाय या जहां कोई गांव सभा या स्थानिक झाधिकारिकी इस प्रधिनियम के उपबन्धों के ग्रधीन किसी भूमि पर कब्जा लेने या बनाये रखने का हकदार हो ग्रौर ऐसी भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न प्रकार से श्रध्यासन किया जाय, वहां, यथास्थिति, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक ग्राधिकारिकी सम्बद्ध प्रसिस्टेंट कलेक्टर को नियत रीति से सूचना देगा।

> (2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सूचना से या अन्य प्रकार से असिस्टेंट कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि उपघारा (1) में निदिष्ट किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी गयी है या उसका दुर्विनियोजन किया गया है या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई भूमि इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंषन में किसी व्यक्ति के अध्यासन में है, वहां वह सम्बद्ध व्यक्ति को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा कि क्षति, दुविनियोजन या दोषपूर्ण भ्रध्यासन के लिए ऐसी नोटिस में उल्लिखित प्रतिकर उससे क्यों न वसूल कियाँ जाय या, यथास्थिति, क्यों न उसे ऐसी भूमि से बैदखल कर दिया जाय।

(3) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के ब्रधीन नोटिस जारी की गई हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे व्यक्ति पर उस नोटिस के तामील के दिनांक से तीन मास से अनधिक बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा ग्रसिस्टेंट कलेक्टर इस निमित्त बढाने की न्ननुमति दे, कारण न बताये या यदि बताया गया कारण म्रपर्याप्त पाया जाय तो प्रसिस्टेंट कलेक्टर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो ग्रावश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि क्षति, दुर्विनियोजन या दोषपूर्ण ग्रध्यासन के लिये प्रतिकर की धनराशि ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जाय ।

(4) पदि भ्रसिस्टेंट कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के प्रधीन नोटिस में निदिष्ट क्षोति या दुविनियोजन या दोधपूर्ण प्रघ्यासन का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को प्रमायोन्मुक्त कर देगा।

(4-क) उपधारा (3) या उपधारा (4) के मधीन ग्रसिस्टेंट कलेक्टर के ब्रादेश से क्षुम्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर धारा 333 के खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित ग्राधारों पर कलेक्टर के समझ पुन-रीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

(4 ख) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी नियत की जाय।

( 4--ग ) धारा 333 या धारा 333--क में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस घारा के उपबन्धों के प्रधीन रहते हुए---

(एक) इस धारा के ग्रधीन झसिस्टेंट कलेक्टर का प्रत्येक आदेश उपधारा (4-क) ग्रौर (4-म) के उपबन्धों के ग्रधीन रहते हुए, श्रन्तिम होगा :

(दो) इस धारा के श्रधीन कलैक्टर का प्रत्येक स्नादेश उपधारा (4---व) के उपबन्धों के श्रधीन रहते हुए श्रन्तिम होगा।

(4-घ) इस धारा के ग्रधीन किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में असिस्टेंट कलेक्टर था कलेक्टर के ब्रादेश से क्षुव्ध कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति में ग्रपने द्वारा ग्रर्ध्याथत ग्रधिकार को स्थापित करने के लिए सक्षम ग्रधिकारितायुक्त न्यायालय में वाद दायर कर सकता है ।

(4–ङ) असिस्टेंट कलेक्टर के किसी श्रादेश के विरुद्ध कोई ऐसा वाद जो उपघारा (4-- घ) में निर्दिष्ट है, दायर नहीं किया जा सकता यदि उपधारा (4-- क) के श्रमीन कलेक्टर को पूनरीक्षण के लिए आवेदन कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण—–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद "कलेक्टर" का तास्पर्य यू0 भी 0 लैण्ड रेवेन्यू ऐवट, 1901 के उपवन्धों के प्रधीन कलेक्टर के रूप में नियुक्त अधिकारी से हैं और उसके अन्तर्गत अपर कलेक्टर भी है।"

3---मूल ग्रधिनियम की धारा 157-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख वी जायेगी, **झप**तिू-

"157-क (1) धारा 153 से 157 में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर या झसामी को ग्रनसचित जातियों के सद-कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भूमि किसी ऐसे स्यों, द्वारा भूमि के संक्रमण

व्यक्ति को जो स्रनुसूचित जाति का न हो, विकय, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा संक्रमित करने का ग्रंधिकार न होगाः

प्रतिबन्घ यह है कि कलेक्टर द्वारा ऐसा छनुमोदन नहीं किया जायेगा यदि संऋमणकर्ता उस धारा के ग्रधीन ग्रावेदन-पत्न के दिनांक को उत्तर प्रदेश में 1. 26 हेक्टेयर से कम भूमि घुत करता हो या उक्त दिनांक को संक्रमणकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार धृत भूमि का क्षेत्रफल ऐसे संक्रमण के पश्चात् 1. 26 हेक्टेयर से कम हो जाने की सम्भावना हो ।

(2) नियत रीति के उस निमित्त झावेदन पन्न दिये जाने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसी नियंत की जाय 🖓

-मूल म्रधिनियम की धारा 157-क के पश्चात निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायंगी, --प्रर्थात्-

"157–ख–––धारा 153 से 157 में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, श्रनुसूचित श्रादिम जाति के सदस्यों द्वारा भूमि के संक-मण पर प्रतिबन्ध

पर प्रतिबन्ध

0

अनुसूचित आदिम जाति के किसी<sup>ं</sup>भूमि**धर या ग्रसामी** को कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित आदिम जाति का न हो, विक्रय, दान, वन्धक या पट्टे द्वारा या अन्यथा संक्रमित करने का प्रधिकार न होगा।

"157-ग-ग्रत्तुचित जाति या कतिपय परिस्थितियों में म्रनुसूचित जाति या स्रनु-सचित श्रादिम जाति के सदस्य द्वारा जोत को बन्धक रखना

अनुसूचित श्रादिम जाति का कोई भूमिघर या असामी, धारा 157-क ग्रीर 157-ख में निहित किसी बात के होते हुए भी धारा 152 की उपघारा (3) में उल्लिखित परिस्थितियों में अपनी जोत या उसके भाग को कब्जा दिये बिना बन्धक रख सकता है।

स्पष्टीकरण—इस ब्रघ्याय में, पद ''श्रनुसूचित जातियों'' श्रोर ''श्रनुसूचित श्रादिम जातियों'' का कमश: तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन उत्तर प्रदेश के संबंध में विनिर्दिष्ट ग्रनुसूचित जातियों और प्रनुसूचित आदिम जातियों से है।"

5---मूल श्रधिनियम की धारा 163 निकाल दी जायगी।

6---मूल मधिनियम की घारा 166 झौर 167 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रब दी जायेंगी, धर्यात---

"166--इस ग्रहितियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक संक्रमण शुन्य होगा ।

167 (1) -- ऐसे प्रत्येक संऋमण के सम्बन्ध में जो धारा 166 के कारण शृन्य है, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थातु---

(क) संक्रमण के दिनांक से संक्रमण की विषय वस्तू को सभी भार से मुक्त राज्य सरकार में निहित समझा जायगा;

(ख) संक्रमण के दिनांक को उस भूमि में विद्यमान वृक्ष, फसल और कुझा को, उक्त दिनांक से, सभी भार से मुक्तें राज्य सरकार में निहित समझा जायगा; (ग) संक्रमिती संक्रमण के दिनांक को ऐसी भूमि में विद्यमान घ्रन्य चल सम्पत्ति को या किसी अचल सम्पत्ति की सामग्री को ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, हटा सकता है।

े (2) जहां कोई भूमि या ग्रन्य सम्पत्ति उपघारा (1) के झधीन राज्य सरकार में निहित हो गई हो, वहां केलेक्टर को ऐसी भूमि या किसी घ्रन्य सम्पत्ति पर कब्जा सेना यौर यह निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी भूमि या सम्पत्ति पर श्रध्यासन करने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाय। ऐसा कब्जा लेने या ऐसे श्रप्राधिकृत झध्यासियों को बेदखल करने के प्रयोजनों के लिये कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो झावश्यक हो।"

7---मूल अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (2--क) में, शब्द, ग्रंक झौर ग्रसर "धारा 157-क" के स्थान पर शब्द, श्रंक श्रीर अक्षरे "धारा 157-क श्रीर 157-ख" र द दिये जायेंगे।

धारा 163फा निकाला जाना धारा 168 झीर 167 কাসবি-स्थापन

धारा 169 का

**मंग्रोध**न

का प्रतिस्थापन

नई धारा 137-ख

तथा 157-ग का

बढ़ाया जाना

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 20 अगस्त, 1982

धारा 197का संगोधन 8---मूल अधिनियम की धारा 197 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1)क जायेगी, ग्रीर इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के परचात् निम्नलिखित उपधारा दी जायेगी, ग्रर्थातू---

"(2) इस श्रधिनियम के किसी अन्य उपवन्ध म किसी वात के होते हुए। किसी तालाव, पोखर या श्रन्य जलाच्छादित भूमि को किसी व्यक्ति को मसामी रूप में उठाने का श्रधिकार इस श्रधिनियम के ब्रधीन वनाये गये नियमों द्वारा विनियक्ति किया जायेगा।"

धारा 198 का संजोधन 9--मूल ग्रधिनियम की धारा 198 में, उपधारा (4), (4-क) श्रौर (5) स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, श्रर्थात् ---

"(4) कलेक्टर भूमि के किसी प्रदेशन सं क्षुट्ध किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्न प्र ऐसे प्रदेशन के संबंध में नियत रीति से जांच करेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसी जान कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशन अनियमित तो वह प्रदेशन और पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है।

(5) किसी प्रदेशन या पट्टा को उपघारा (4) के अधीन निरस्त करने लिये कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा, जब तक कि उस व्यक्ति पर, जिसे पक्ष में; प्रदेशन या पट्टा दिया गया था या उसके विधिक प्रतिनिधियों पर कार बताने के लिए नोटिस तामील न कर दी जाय:

प्रतिवन्ध यह है कि किसी प्रदेशन या पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाहितों में ऐसी नोटिस ग्रावश्यक न होगी जहां ऐसी कार्यवाहियां 18 ग्रगस्त, 1980 को कलेक्टर या किसी ग्रन्य न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन रही हों।

(6) उपधारा (5),में उल्लिखित कारण बताने के लिये प्रत्येक नोटिस-

(क) 10 नवम्बर, 1980 (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है) के पूर्व किये गये भूमि प्रदेशन की स्थिति में उक्त दिनांक से दो क्य की समाप्ति के पूर्व, ग्रौर

(ख) उक्त दिनांक को या उसके परचात् किये गये भूमि प्रदेशन हो स्थिति में, ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की प्रवधि की समाजि के पूर्व,

जारी की जा सकती है।

(7) जहां किसी भूमि का प्रदेशन या पट्टा उपधारा (4) के अधीन निरस्त कर दिया जाय, वहां उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, प्रयात्—

(एक) ऐसी भूमि में प्रिवेशनग्रहीता या पट्टेदार या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का श्रधिकार, हक श्रौर स्वस्व समाप्त हो जायेगा, श्रौर भूमि गांव सभा को प्रत्यावर्तित हो जायगी;

(दो) कलेक्टर निर्देश दे सकता है कि ऐसी भूमि पर कटजा रखने ये। वनाये रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् वह भूमि तत्काल गांव सभा के कब्जे में दे दी जाय और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो ग्रावक्ष्यक हो।

(8) उपधारा (4) के प्रधीम कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक भादेश धारों 333 के उपवन्धों के अधीन रहते हुए, भन्तिम होगा।

(9) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 में विनिदिध्ट कोई मूमि उक्त दिनांक के पूर्व किसी समय सीरदार या श्रसंक्रमणीय श्रधिकार वाले भूमिधर के रूप में उठाई गई हो, श्रोर उपधारा (3) में उल्लिखित श्रनुज्ञेय क्षेत्न के संबंध में परगने के हंचार्ब भ्र सिस्टेंट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से इस प्रकार उठाई गई हो, वहां इस भ्रधिनियम हो श्र म्य उपबन्धों में यां उस प्रदेशन या पट्टे में, जिसके श्रधीन ऐसे व्यक्ति को वह भूमि उठाई गई थी, दी गयी किसी बात के होते हुए भी. उक्त दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्---

(क) प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार ऐसी भूमि का भसामी समझा जायगा छोर यह समझा जायगा कि वह वर्षानुवर्ष उक्त भूमि घृत कर रहा है, श्रौर उपर्युक्त सीमा तक भूमि का प्रदेशन या पट्टा उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिये अनियमित नहीं समझा जायगा;

(ख) ऐसी भूमि का प्रदेशन या पट्टा निरस्त करने के लिये कलेक्टर या किसी ग्रन्य न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन कार्यवाहिया; गदि कोई हों, उपशमित हो जायेंगी।"

10----मूल अधिनियम की धारा 198-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,

. त्रंबत्---मणीय ग्रधिकार वाले भूमिधर या ग्रसामी के रूप में प्रदिष्ट की जाय, श्रीर प्रदेशनग्रहीता से भिन्न किसी व्यक्ति का इस श्रधिनियम के उपयन्धों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर ग्राध्यासन है, यहां असिस्टेंट कलेक्टर प्रदेशनग्रहीता के ग्रावेदन पत्न पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा श्रीर स्वप्नेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे वल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के प्रधीन वेदखल किये जाने के पण्चात् विधिनूण - प्राधिकार के विना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः प्रघ्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी श्रवधि दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी ग्नीर जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि श्रभियुक्त को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुमनाि वसूल हो उसका कुल या कोई भाग जिसे न्यायालय : उचित समझे, उपयोग ग्रीर झध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेशनग्रहीता को दिया 🕞 जाय ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का, मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रेकम पर, शपथ-पत्न से या ग्रन्थ प्रकार से यह समाधान हो जाय कि---

(क) अभियुक्त का अधिनियम के उपवन्धों का उल्लंधन करके उस भूमि पर मध्यासन है जिसके सम्बन्ध में ऐसो कार्यवाही है, श्रीर

(ख) प्रदेशनग्रहीता ऐसी भूमि पर कव्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय मामले का भ्रन्तिम भ्रवधारण विचाराधीन रहते हुए भ्रभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है, और प्रदेशनग्रहीता को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता हैं।

(4) जहां उपधारा (2) के प्रधीन किसी कार्यवाही में प्रभियुक्त को सिद्धदोप किया आय, वहां उपघारा (3) के प्रधीन पारित अन्तरिम श्रादेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जायेगी ।

(5) जहां उपधारा (2) के ब्रधीन किसी कार्यवाही में ब्रभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यवित ऐसी भूमि पर पून: कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति के आवेँदन पत्न पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी यात के होते हुए भी उपधारा (2) के मधीन अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है ।

(7) इस घारा के अधीन अपराध के शीघ्र विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशोप न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें उप खण्ड मजिस्ट्रेट की श्रेणी से ग्रनिम्न श्रधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपवन्धों के मधीन रहते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे ग्रपराधों के वारे में करेगा।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी यात के होते हुए भी उपधारा (2) के प्रधीन दण्डनीय प्रत्येक ग्रपराघ संज्ञेय तथा ग्रजमानता होगा ।

11---मूल ग्रधनियम की घारा 201 में, शब्द और अंक ''धारा 206 या 212'' के स्थान दर शब्द और अंक "धारा 212" रख दिये जायेंगे।

12----मूल अधिनियम की घारा 204 में,----

(क) ण्रब्द "सोरदार" के स्थान पर शब्द "ग्रसंक्रमणीय प्रधिकार वाला भूमि-धर" रख दिये आयेंगे;

(ख) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड वढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:---

"प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित आदिम जाति के किसी व्यक्ति द्वारा धत किसी भूमि के सम्बन्ध में किसी घंसामी को कोई ुऐसा अधिकार प्रोद्भूत न होगा।"

198-1 धारा का संशोधन

> धारा 201 फा संशोधन

धारा 204 संगोध न

धारा 210 का र्स भोधन

13--मूल मधिनियम की धारा 210 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा कि जायगा, अर्थात् —

> "प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित मादिम जाति के किसी भूमिघर या असामी का धृत भूमि के सम्बन्ध में खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित परिणाम नहीं होंगे ।"

14 --- मूल अधिनियम की धारा 210 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जासा नयीधारा 211 का बढामा जाता अर्थात् ---

Ŧ

ग्रध्यासियों

**ग्रधिका**र

"211 (1) --- जहां अनुसूचित आदिम् जाति के किसी खातेदार द्वारा घृत को भूमि ऐसे खातेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो म्रनुसूचित म्रादिम वहां घसिस्टेंट कलक्टर, इस अधिनियम में किसी प्रतिकृत जाति के सदस्य बात के होते हुए भी, ऐसे खातेदार के आवेदन-पत्र पर द्वारा धृत भूमि या स्वप्रेरणा से श्राध्यासी को बेदखल करने के पश्चात्, उसे ऐसी **अ**त्राधिकृत भूमि का कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये एते को बेल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक बेदखल करने का समझे जायं ।

(2) अहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के शधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी घूमि या उसके किसी भाग पर पुनः श्रध्यासने करता है, वहां वद्द करावास से जिसकी प्रवधि दो वर्ष तक हो सकतों है, किन्तु जो तीन माह से कम नहीं होगी, ग्रौर जुर्माना से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है किन्तु जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

(3) उपघारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति की सिद्धदोष करने वाला कोई न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को ऐसी भूमि या उसके किसी? भाग से सरसरी तौर पर बेदखल करने के पश्चात् ऐसी भूमि का कब्जा खातेवार को दिलाया जाय और ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य कार्यवाही पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के श्रधीन उसके विरुद्ध की जा सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बेदखल किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (2) के श्रधीन प्रत्येक दण्डनीय अपराध संज्ञेय और मजमानसी होगा, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।

(5) इस घारा के ख़द्यीन अपराध के शीध दिचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्योयालय के परामर्श से ग्रधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें उप खण्ड मजिस्ट्रेट की श्रेणों से झनिम्न झधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे प्रपराधों के बारे में करेगा ।"

धारा 229--- व का संशोधन

14-क---मूल अधिनियम को धारा 229-व को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्या-कित कर दिया जायेगा झौर इस प्रकार पुनः संख्याकित उपघारा के पश्चात् निम्नलिखित उपघारा जोड़ दी जायेगी, प्रर्थात्---

> "(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 122-- ह की उपधारा 4-- अ के प्राधीन दायर किये गये वाद पर लागू नहीं होगी ।"

बारा 287-क का संश्वोधन

15—मूल अधिनियस की घारा 287—क में, शब्द "किसी बकाया मालगूजारी" के स्थान पर शब्द "मालगुजारी की किसी बकाया" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखेँगये समझे जामेंगे।

धारा 330 का संशोध न

16---मूल अधिनियम की धारा 330 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित सब्ह रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् ---

"(ग) अघ्याय दस के अघीन मालगुजारी का निर्धारण या उसकी बसूली या माल-गुजारी की बकाया की तरह वसूली योंग्य किसी धनराशि की वसूली।"

# भ्रध्याय तीन

# यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

17-यू0पी0 रूण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की, जिसे आगे इस अघ्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, घारा 33 में, उपघारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपघारा रख दी जायेगी, बर्बात् "(4) उपघारा (1) के अधीन जब-जब वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाय, कलक्टर उसकी तैयारी के उपरांत यथाशक्य शीघ्र, प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर (चाहे संक्रमणीय अधिकार वाला हो या नहीं), असामी या सरकारी पट्टेदार

(4) उपघारा (1) के अधीन जब-जब वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाय, कलकटर उसकी तैयारी के उपरांत यथाशक्य शीघ्र, प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर (चाहे संक्रमणीय अधिकार वाला हो या नहीं), असामी या सरकारी पट्टेदार अभिलिखित हो, एक जोत वही (पास-बुक) नियत रीति से और नियत शुल्क का (को मालगुजारी की वकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा) भुगतान करने पर, तैयार करायेगा भ्रौर उसे दिलवायेगा जिसमें उसकी उन सभी जोतों के विषय में, जिनके संदंध में वह (चाहे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) उस प्रकार अभिलिखित है, धार्षिक राष्ट्र रके ऐसे उद्धरण होंगे जिन्हें नियत किया जाय:

हिस्तुमें से सिंग के प्रयोजनार्थ यह हैं कि संयुक्त जोतों की स्थिति में, इस उपघारा के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि जोत वही (पास-बुक) अभिलिखित सह अंशधारियों में से केवल ऐसे एक या पि एकाधिक को जो नियत किये जायं, दी जाय ।

स्पष्टीकरण——जोत वही (पास-बुक) किसी खातेदार की, मूमिधर (चाहे वह संक-मणीय अधिकार वाला हो या नहीं), असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में उसके द्वारा धूत मूमि के संबंध में समस्त जोतों के लिये संहत पास-बुक होगी।"

18----मूल अधिनियम की घारा 183 में, शब्द "किसी वकाया मालगुजारी" के स्थान पर क्र ग्रह्य "मालगुजारी की किसी बकाया" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

भारा 183 का संगोधन

उत्तर प्रदेश

1956 की धारा

३६ का संगोधन

भ्रधिनियम संख्या 11 सन्

## घ्रध्याय चार

# जीनसार वावर जमींदारी-विनाश श्रीर भूमि-व्यवस्था श्रघिनियम, 1956 का संशोधन

र्ग 19----जोनसार बावर जमींदारी--विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 36 में, उपघारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्घात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

" में "किन्सू प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परगने के संबंध में उक्त अधिनियम की बारा 245 ' ' ' निम्नलिखित परिष्कारों के साथ छागू होगी, अर्थात्.--

(एक) ढेढ़ एकड़ मूमि की गणना एक एकड़ के रूप में की जायगी ;

. . . . . . . . . . .

۲ï

۰.

6.1

й я.<sub>1</sub>.

(दो) किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के संबंध में जिसमें इस अधिनियम के श्रघ्याय दो के अधीन किये गये वन्दोवस्त पर स्वीकृत लगान की अधिकतम दरें एक रुपया प्रति एकड़ से अधिक न हों, उक्त धारा 245 की उपधारा (2) के प्रतिवन्धात्मक खंड के खण्ड (i) में आये हुए शब्द "पांच रुपये" छोर "दस रुपये" के स्थान पर क्रमश: शब्द "तीन रुपये" और "पांच रुपये" रख दिये जायेंगे, और उसके खण्ड (ii) में, शब्द "दस रुपये" और "बीस रुपये" के स्थान पर क्रमश: शब्द "छ: रुपये" छोर "दस रुपये" रख दिये जायेंगे।"

# श्रध्याय पाँच

# उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी अधिनियम,1953 का संशोधन

र्ण 20---उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी छधिनियम, 1953 की, जिसे छागे इस ध्रघ्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 48 में---

> (1) उपधारा (1) में शब्द, "प्राधिकारी द्वारा दी गयी" के पश्चात् शब्द "अन्तर्वतीं माज्ञा से मिन्न" एख दिये जायेंगे,

उत्तर प्रदेश श्रधिनियम संख्या 5 सन् 1954 `की धारा 48 का संशोधन

यु0 पी0 ऐक्ट संख्या 3 सन् 1901 की घारा 33 का संशोधन

7

į

(2) वर्तमान स्पर्ष्टीकरण को स्पष्टीकरण (1) के रूप में पुनः संख्याकित दिया जायेगा त्रौर इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण के पष्टचात् निम्नलिक स्पष्टीकरण जोड़ दिया जायगा, ध्रर्यात् ---

"स्पर्ण्टीकरण——(2) इस धारा के प्रयोजनार्थ पद " ग्रन्तवैर्ती ग्राज़।" का तास किसी मामले या कार्यवाही के संबंध में ऐसे ग्रादेश से है जो उस मामले या कार्यवाही उत्पन्न होने वाले या उसके संपार्थ्विक किसी विषय को निर्णीत करते हुए भी उस माम या कार्यवाही का त्रन्तिम रूप से निस्तारण करने का प्रभाव नहीं रखता है।"

21---मूल ग्रंधिनियम की धारा 49 में, निम्नलिखित प्रतिवन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जीवना अर्थात---

> "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि के संबंध में किस पर इस अधिनियम के उपवन्धों के अधीन या अनुसार किसी गांव सभा को कब्जा दिया की हो, या दिया गया सपझा जाय, उत्तर प्रदेश जमीदारी---विनाश और भूमि-व्यवस्थ अधिनियम, 1950 की धारा 122-ख के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने से असिस्टर कलकटर को प्रवारित नहीं करेगी।"

# प्रध्याय छः

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश श्रवि-नियम संख्या । 22---उत्तर प्रदेश श्रधिकतम जोत सीमा झारोपण श्रधिनियम, 1960 की धारा 27 में, सन् 1961 की धारा 27 का (एक) उपघारा (6) में, खण्ड (क) श्रौर (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड र अंगोधन दिये जायेंगे, श्रर्थात्---

> "(क) 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व किये गये किसी बन्दाबस्त या दिये गये किसी पहुँदे की स्थिति में, उक्त दिनाक से दो वर्षकी ग्रयधि की समाप्ति के पूर्व, ग्रीर

> (ख) उक्त दिनांक को या उसके पण्चात् किये गये किसी वन्दोवस्त या दिये गये किसी पट्टे की स्थिति में, ऐसे बन्दोवस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की ग्रवधि की समाप्ति के पूर्व";

(दो) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें वढ़ा दी जायेंगी, भर्यात :-"(6-क) जहां किसी ग्रतिरिक्त भूमि का बन्दोवस्त उपधारा (3) के ग्रधीन कलेक्टर द्वारा किया गया हो, और जिसके पक्ष में ऐसा वन्दोवस्त किया गया हो उससे भिन्न किसी व्यक्ति का ऐसी भूमि पर इस ग्रधिनियम के उपवन्धों के उल्लंघन में ग्रध्यासन हो, वही कलक्टर उस व्यक्ति के जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था, ग्रावेदन पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्नेरण से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है ग्रीर इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह ग्रावश्यक समझे।

(6-ख) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के ग्रधोन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः ग्रध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी ग्रौर जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को सिद्धदोध करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण झादेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो उसका कुल या कोई भाग जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाय जिसके पक्ष म ऐसा बन्दोबस्त किया गया था।

धारा 49 का संशोधन

(6-ग) जहां उपघारा (6-ख) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रऋम पर, शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि---

(क) ग्रभियुक्त का अधिनियम के उपवन्धों का उल्लंघन करके उस भूमि पर प्रध्यासन है जिसके संबंध में ऐसी कार्यवाही है; श्रौर

(ख) वह व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ऐसी भूमि पर कव्जा पाने का हकदार है।

<sub>ं वहां</sub> न्यायालय मामलें का अन्तिम अवधारण विचाराघीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी मूमि से ृसरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है, भ्रौर उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में ऐसा वन्दोवस्त किया ंगया था ऐसी मूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(6--घ) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाय, वहां ।इपघारा (6--ग) के अघीन पारित अन्तरिम आदेश न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जायगा ।

,- (6-इ) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाघान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कव्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

- (6-च) दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (6-ख) के स्रधीन दण्डनीय प्रत्येक ग्रपराध संज्ञेय तथा श्रजमानती होगा श्रौर उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है ।

(6–छ) इस धारा के ग्रधीन अपराध के शीघ्र विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्रधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें उप खण्ड मजिस्ट्रेट की श्रेणी के अनिम्न अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 के उपवन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे अपराधों के बारे में करेगा ।"

# ग्रघ्याय सात

# उत्तर्प्रदेश विधिः (विहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) श्रधिनियम 1976 का संशोधन

23----उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"(कक) ''अनुसूचित ग्राम" का तात्पर्य अन्तरित राज्य क्षेत्रों में समाविष्ट और द्वितीय अनुसूची में विनिदिष्ट ग्राम से है ;"

24 --- मूल अर्घिनियम घारा 3 में, उपघारा (1) में, शब्द ''अनुसूची'' के स्थान पर शब्द 'प्रथम अनुसूची'' रख दिये जायेंगे।

25----मूल अधिनियम की घारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित घारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् ---

"3-क (1) जहां कोई व्यक्ति जिसका 15 अक्तूवर, 1976 को और इस घारा के

कतिपय अध्यासियों को भौमिक अधिकार प्रदान करना

धारा 132 के उपबन्ध,--

÷,

(क) लग् होते हैं, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से सम्बद्ध गांव सभा की ओर से भूमि घारण करने वाला असामी हो जायेगा झौर हो गया समझा जायेगा ;

प्रारम्म के दिनांक को भी किसी अनुसूचित ग्राम में

स्थित किसी मूमि पर अध्यासन रहा है श्रौर वह

मूमि ऐसी मूमि है जिस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी.

विनाश श्रीर भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की

(ख) लागू नहीं होते हैं, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रारम्म के दिनांक से, ऐसी मूमि के संबंध में संक्रमणीय अधिकार वाला मूमिघर हो जायगा और हो गया समझा जायगा। उत्तर प्रदेश श्रुधिनियम संख्या 52 सन् 1976 की धारा 2 का संशोधन

धारा 3 का संशोधन

नई धारा 3-क का बढ़ाया जाना उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 20 ग्रगस्त, 1982

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल वात के होते हुए मी, इस बार के उपवन्ध प्रमावी होंगे।"

18----नीवंरार

19---सोभापूर

20---पहरी

21—पैकौली

23---गोविन्दपुर

24---चतुरमुजपुर

27—-रोला बड़े वाबू

28-तुलापुर (2) पोरसन

26--- 9ोख रा

29----दुर्जनपुर

 $\mathcal{G}_{\Gamma}$ 

(1) मुतल्लिका सरवनपुरः

(1) मुतल्लिका पलियां :

16---नौबरार 1873 मूतल्लिका बेलसीपा<sub>ह</sub>

26---मूल अधिनियम की वर्त्तमान अनुसूची को पुनः संख्यांकित करके उसकी प्रयम्ध अनुसूची कर दी जायगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रथम अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी, अर्थात्⊸⊸

''द्वितीय अनुसूची

(धारा 3-क देखिए)

अनुसूचित ग्रामों के नाम

1--मिखनपुरा या भिखारीपुरा

2--- शाहपुर दिधवारा

3---आराजी माफी म्रजोरपुर

4----शिवपुर गंगबरार

5---विजौरा गंगबरार

6---सीत्लपट्टी गंगवरार

१---चतुरभूजतरी गंगबरार

8---गोविन्दपुर गंगवरार

9---डोगरांबाद

10---बुलापुर

11---हरदेव छपरा

12--हरसेवक छपरा

1 3---चौवे छपरा

15—नौवरार (1) मुतल्लिका वेलसीपाह 30—उद्योपुर''

ग्रध्याय ग्राठ

# प्रकीर्ण

संऋमणकालीन उपबन्ध

27—–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश श्रौर भूमि-व्यवस्था श्रधिनियम, 1950 में किसी वास के होते हुए भी,---

> (क) उक्त श्रधिनियम की धारा 122-ख, जैसी कि वह इस धारा के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, के अधीन सभी कार्यवाहियां जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को किसी अधिकारी, न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन थीं, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के श्रनुसार निस्तारित की जायेंगी मानों यह श्रधिनियम पारित न किया गया हो;

> (ख) उक्त आधिनियम की धारा 198, जैसी कि वह 18 प्रगस्त, 1980 को थी, के अधीन किसी भूमि के प्रदेशन या पट्टा के निरसन की सभी कार्यवाहियां जो इस घारा के प्रारम्भ के दिनोंक को किसी श्रधिकारी, न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन थीं, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के उपवन्धों के अनुसार निस्तारित की जायेंगी ।

द्वितीय अनुसूची

का बढाया जॉना

28--(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) ग्रध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसन भौर निरसित किया जाता है। भपनाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट घ्रध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित ग्रध्याय दो, तीन, चार, पांच, छः और सात में निर्दिष्ट घ्रधिनियमों के उपवन्धों के ग्रधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस घ्रधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन घ्रधिनियमों के तदनुरूप उपवन्धों के घ्रधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस घ्रधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

981

ग्राज्ञा से,

गंगा वख्श सिंह, सचिव ।

# No. 1548(2)/XVII-V-1-104-1980

# Dated Lucknow, August 20, 1982

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoomi Vidhi (Sanshedhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1982), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 11, 1982.

# THE UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1982

# (U. P. ACT NO. 20 OF 1982)

# [As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

#### AN

# ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, U. P. Land Revenue Act, 1901, the Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 and the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty Second Year of the Republic of India as follows:

### Chapter I

#### Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1982.

Short title and ommencement.

(2) Section 9 shall be deemed to have come into force on August 18, 1980, section 19 shall be deemed to have come into force on July 1, 1976, sections 2 to 7 and 12 to 14 and 27 shall be deemed to have come into force on June 3, 1981 and sections 8,10,11,15 to 18 and 20 to 26 shall be deemed to have come into force on November 10, 1980 and the remaining provisions shall come into force at once.

## CHAPTER II

# Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950

Amendment of section 122-B of U. P. Act I of 1951. 2. In section 122-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for sub-sections (1) to (4-E), the following sub-sections shall be *substitu*ted, namely:

"(1) Where any property vested under the provisions of this Act in a Gaon Sabha or a local authority is damaged or misappropriated or where any Gaon Sabha or local authority is entitled to take or retain possession of any land under the provisions of this Act and such land is occupied otherwise than in accordance with the provisions of this Act, the Land Management Committee or Local Authority, as the case may be, shall inform the Assistant Collector concerned in the manner prescribed.

(2) Where from the information received under sub-section (1) or otherwise, the Assistant Collector is satisfied that any property referred to in sub-section (1) has been damaged or misappropriated or any person is in occupation of any land, referred to in that sub-section, in contravention of the provisions of this Act, he shall issue notice to the person concerned to show cause why compensation for damage, misappropriation or wrongful occupation as mentioned in such notice be not recovered from him or, as the case may be, why he should not be evicted from such land.

(3) If the person to whom a notice has been issued under sub-section(2) fails to show cause within the time specified in the notice or within such extended time not exceeding three months from the date of service of such notice on such person, as the Assistant Collector may allow in this behalf, or if the cause shown is found to be insufficient, the Assistant Collector may direct that such person may be evicted from the land and may for that purpose, use, or cause to be used such force as may be necessary and may direct that the amount of compensation for damage, misappropriation or wrongful occupation be recovered from such person as arrears of land revenue.

(4) If the Assistant Collector is of opinion that the person showing cause is not guilty of causing the damage or misappropriation or wrong-ful occupation referred to in the notice under sub-section (2) he shall discharge the notice.

 $\sqrt{(4-A)}$  Any person aggrieved by the order of the Assistant Collector under sub-section (3) or sub-section (4) may, within thirty days from the date of such order prefer, a revision before the Collector on the grounds mentioned in clauses (a) to (e) of section 333.

(4-B) The procedure to be followed in any action taken under this section shall be such as may be prescribed.

(4-C) Notwithstanding anything contained in section 333 or section 333-A, but subject to the provisions of this section—

(i) every order of the Assistant Collector under this section shall, subject to the provisions of sub-sections (4-A) and (4-D), be final.

(ii) every order of the Collector under this section shall, subject to the provisions of sub-section (4-D), be final.

(4-D) Any person aggrieved by the order of the Assistant Collector or Collector in respect of any property under this section may file a suit in a court of competent jurisdiction to establish the right claimed by him in such property.

 $\sqrt{(4-E)}$  No such suit as is referred to in sub-section (4-D) shall lie against an order of the Assistant Collector if a revision is preferred to the Collector under sub-section (4-A).

Explanation—For the purposes of this section, the expression 'Collector' means the officer appointed as Collector under the provisions of the U.P. Land Revenue Act, 1901 and includes an Additional Collector." 3. For section 157-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :--

"157-A. (1) Without prejudice to the restrictions contained in sec-Restrictions on transfer of land by members of Scheduled Castes with the previous approval of the Collector:

Provided that no such approval shall be given by the Collector in case where the land held in Uttar Pradesh by the transferor on the date of application under this section is less than 1.26 hectares or where the area of land so held in Uttar Pradesh by the transferor on the said date is after such transfer, likely to be reduced to less than 1.26 hectares.

(2) The Collector shall, on an application made in that behalf in the prescribed manner, make such inquiry as may be prescribed."

4. After section 157-A of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:

"157-B. (1) Without prejudice to the restrictions contained in Restrictions on sections 153 to 157, no *bhumidhar* or *asami* belongtransfer of land ing to a Scheduled Tribe shall have the right to by members of transfer by way of sale, gift, mortgage or lease or Scheduled Castes. otherwise any land to a person not belonging to

a Scheduled Tribe.

11

......

157-C. Notwithstanding anything contained in sections 157-A and Mortgage of holdings by members of Scheduled Caste or Scheduled Tribe may mortgage without possession his holding or part thereof in the circumscheduled Tribe

stances specified in sub-section (3) o ection 152.

*Explanation*—In this Chapter, the expressions 'Scheduled Castes' and 'Scheduled Tribes' shall mean respectively the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes specified in relation to Uttar Pradesh under Articles 341 and 342 of the Constitution."

5. Section 163 of the principal Act, shall be omitted.

6. For sections 166 and 167 of the principal Act, the following sections chall be substituted, namely:-

"166. Every transfer made in contravention of the provisions of this Act shall be void.

167. (1) The following consequences shall ensue in respect of every transfer which is void by virtue of section 166, namely-

(a) the subject-matter of transfer shall, with effect from the date of transfer, be deemed to have vested in the State Government free from all encumbrances;

(b) the trees, crops and wells existing on the land on the date of transfer shall, with effect from the said date, be deemed to have vested in the State Government free from all encumbrances:

(c) the transferee may remove other movable property or the materials of any immovable property existing on such land on the date of transfer within such time as may be prescribed.

(2) Where any land or other property has vested in the State Government under sub-section (1), it shall be lawful for the Collector to take over possession over such land or other property and to direct that any person occupying such land or property be evicted therefrom. For the purposes of taking over such possession or evicting such unauthorised occupants, the Collector may use or cause to be used such force as may be necessary." Omission of section 163.

Substitution of sections 166 and 167.

Substitution of section 157-A.

Insertions section 7 and 157-C.

Amendment of section 169

Amendment of section 197.

tions 157-A and 157-B" shall be substituted. 8. Section 197 of the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:

figures and letters "section 157-A", the words, figures and letters "sec-

7. In section 169 of the principal Act, is sub-section (2-A), for the words,

"(2) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, the right to admit any person as asami of any tank, pond or other land, covered by water shall be regulated by the rules made under this Act."

In section 198 of the principal Act, for sub-sections (4), (4-A) and (5). 9. the following sub-sections shall be substituted, namely:

"(4) The Collector may of his own motion and shall on the application of any person aggrieved by an allotment of land inquire in the manner prescribed into such allotment and if he is satisfied that the allotment is irregular, he may cancel the allotment and the lease, if any.

(5) No order for cancellation of an allotment or lease shall be made under sub-section (4), unless a notice to show cause is served on the person in whose favour the allotment or lease was made or on his legal representatives :

Provided that no such notice shall be necessary in proceedings for the cancellation of any allotment or lease where such proceedings were pending before the Collector or any other court or authority on August 18, 1980.

(6) Every notice to show cause mentioned in sub-section (5) may be issued-

(a) in the case of an allotment of land made before November 10. 1980 (hereinafter referred to as the said date), before the expiry of a period of two years from the said date; and

(b) in the case of an allotment of land made on or after the said date, before the expiry of a period of five-years from the date of such allotment or lease.

(7) Where the allotment or lease of any land is cancelled under subsection (4), the following consequences shall ensue, namely-

(i) the right, title and interest of the allottee or lessee or any other person claiming through him in such land shall cease and the land shall revert to the Gaon Sabha;

(ii) the Collector may direct delivery of possession: of such land forthwith to the Gaon Sabha after ejectment of every person holding or retaining possession thereof and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(8) Every order made by the Collector under sub-section (4) shall. subject to the provisions of section 333, be final.

(9) Where any person has been admitted to any land specified in section 132 as a sirdar or bhumidhar with non-transferable rights at any time before the said date and such admission was made with the previous approval of the Assistant Collector in-charge of the Sub-Division in respect of the permissible area mentioned in sub-section (3), then notwithstanding anything contained in other provisions of this Act or in the terms and conditions of the allotment or lease under which such person was admitted to that land, the following consequences shall, with effect from the said date ensue, namely-

(a) the allottee or lessee shall be deemed to be an asami of such land and shall be deemed to be holding the same from year to year, and the allotment or lease of the land to the extent mentioned above shall not be deemed to be irregular for the purposes of subsection (4);

Amendment of section 198.

(b) the proceedings, if any, pending on the said date before the Collector or any other court or authority for the cancellation of the allotment or lease of such land, shall abate."

10. For section 198-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:

. .

 $-2^{2}$  of

L .10.

وہ ا

in inter Statistics

1 4

ي الله ال

: 01

a style -

ñ 4.

- **€**4- -156

tos -

Vit.

راد

1

est.

1

ר | ל

•t.

٠.,

٤.,

"198-A. (1) Where any land referred to in section 195 or sec-Restoration of tion 197 is allotted to any person whether as a possession to *Bhumidhar* with non-transferable rights or as an Gaon Sabha Asami, and any person other than the allottee is

allottees. in occupation of such land in contravention of the provisions of this Act, the Assistant Collector may of his own motion and shall on the application of the allottee, put him in possession of such land and may, for that purpose use or cause to be used such force as he considers necessary.

(2) Where any person, after being evicted under this section, re-occupies the land or any part thereof without lawful authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years but which shall not be less than three months and also with fine which may extend to three thousand rupees :

Provided that the court convicting the accused may while passing the sentence direct that the whole or such portion of the fine that may be recovered as the court considers proper be paid to the allottee as damages for use and occupation.

(3) Where in any proceeding under [sub-section (2), the court, at any stage after cognizance of the case has been taken, is satisfied by affidavit or otherwise—

(a) that the accused is in occupation of the land to which such proceeding relates, in contravention of the provisions of the Act, and

(b) that the allottee is entitled to the possession of such land the court may summarily evict the accused from such land pending the final determination of the case, and may put the allottee in possession of such land.

(4) Where in any proceeding under sub-section (2) the accused is convicted, the interim order passed under sub-section (3) shall be confirmed by the court.

(5) Where in any proceeding under sub-section (2) the accused is acquitted or discharged and the court if satisfied that the person so acquitted or discharged is entitled to be put back in possession over such land the court shall, on the application of such person, direct that delivery or possession be made to him.

(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence under sub-section (2) may be tried summarily.

(7) For the purpose of speedy trial of offence under this section, the State Government may, in consultation with the High Court, by notification, constitute special courts consisting of an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, which shall, subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, exercise in relation to such offences the powers of a Judicial Magistrate of the First Class.

(8) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable and non-bailable."

11. In section 201 of the principal Act, for the words and figures "section 206 or 212", the word and figure "section 212" shall be substituted.

2. In section 204 of the principal Act,—

(a) for the word "sirdar", the words "bhumidhar with non-transferable rights," shall be substituted;

(b) the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:

"Provided that no such rights shall accrue to an *asami* in respect of any land held by a person belonging to a Scheduled Tribe." Amendment of section 201.

Amendment of section 204.

Substitution of socion 198-A.

Amendment of section 210.

In section 210 of the principal Act, the following proviso shall be 13. inserted, namely :

"Provided that the consequences mentioned in clauses (a) to (c) shall not ensue in respect of any land held by a bhumidhar or asami belonging to a Scheduled Tribe."

of Insertion section 211.

14. After section 210 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :---

"211. (1)Where any land held by a tenure-holder belonging to a Power to evict Scheduled Tribe is in occupation of any person other unauthorised octhan such tenure-holder, the Assistant Collector may cupants of land suo motu or on the application of such tenure-holder, held by a memput him in possession of such land after evicting the ber of Scheduled occupant and may, for that purpose use or cause to Tribe. be used such force as may be considered necessary, anything to the contrary contained in this Act notwithstanding.

(2) Where any person, after being evicted from any land under sub-action (1), re-occupies the land or any part thereof without any lawful authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years but which shall not be less than three months and also with a fine which may extend to three thousand rupees but which shall not be less than one thousand rupees.

(3) Any court convicting a person under sub-section (2) may make an order to put the tenure-holder in possession of such land after evicting the person summarily from such land or any part thereof and such person shall be liable to eviction without prejudice to any other action that may be taken against him under lany other law for the time being in force.

(4) Every offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable and non-bailable and notwithstandirg anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, may be tried summarily.

(5) For the purpose of speedy trial of offence, under this section, the State Government may, in consultation with the High Court, by notification constitute special courts consisting of an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, which shall, subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, exercise in relation to such offences the powers of Judicial Magistrate of the first class.

14-A. Section 229-D of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so re-runkered, the following sub-section shall be inserted, namely :-

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a suit filed under subsection (4-D) of section 122-B."

In section 287-A of the principal Act, for the words "arrear of 15. revenue" wherever occurring the words "arrears of land revenue" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

16. In section 330 of the principal Act, for clause (c), the following clause shall be substituted and be deemed always to have been substituted namely-

"(c) the assessment or collection of land revenue under Chapter Xor the recovery of any sum of money recoverable as arrears of land revenue."

#### CHAPTER III

1n

i. i 

# Amendment of the U.P. Land Revenue Act, 1901

17. In section 33 of the U. P. Land Revenue Act, 1901 hereinafter this Chapter referred to as the principal Act, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely :

> register is prepared under sub-sec-"(4) Every time when annual tion (1) the Collector shall, as soon as may be after its preparation,: person 'recorded cause to be prepared and supplied to every as 1 bhumtdhar' whether with or without transferable rights, assami or

Amendment of section 229-D.

Amendment of section 287-A

Amendment of section 330.

Amendment of section 33 of U. P. Act no. III of 1901. of

Government Lessee a Jot Bahi (Pass Book) which shall contain such extract from the annual register relating to all holdings of which he is so recorded (either solely or jointly with others) and in such mann er and on payment of such fee, which shall be realisable as arrears of land revenue, as may be prescribed:

Provided that in the case of joint holdings it shall be sufficient for the purposes of this sub-section if the Jot Bahi (Pass Book) is supplied only to such one or more of the recorded co-sharers as may be prescribed.

Explanation-The Jot Bahi (Pass Book) shall be consolidated passbook for all the holdings of a tenure-holder in respect of land held by him as bhumidhar whether with or without stransferable rights, asami or Government Lessee."

18. In section 183 of the principal Act, for the words "arrears for revenue" wherever occurring the words "arrears of land revenue" shall be substituted and be deemed always to have been substituted. CHAPTER IV

Amendment of the Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956

19. In section 36 of the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely:

> "Provided that section 245 of the said Act shall, in relation to such Pargana, apply with the following modification, namely-

(i) one and a half acres of land shall count as one acre;

(ii) in relation to any local area in which the maximum rent rates sanctioned at the settlement carried out under Chapter II of this Act, do not exceed rupee one per acre, the words 'rupees five' and rupees ten' in clause (i) of the proviso to sub-section (2) of the said section 245 shall be *substituted* by the words 'rupees three' and 'rupees five' respectively, and the words 'rupees ten' and 'rupees twenty' in clause (ii) thereof shall be substituted by the words 'rupees six' and 'rupees ten' respectively."

#### CHAPTER V

# Amendment of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953

20. In section 48 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, --

(i) in sub-section (1), after the words "propriety of any order" the words "other than an interlocutory order" shall be inserted;

(ii) the existing Explanation shall be re-numbered as Explanation (1) and after the Explanation as so re-numbered the following Explanation shall be inserted, namely:-

'Explanation (2)- For the purposes of this section the expression 'interlocutory order' in relation to a case or proceeding, means such order deciding any matter arising in such case or proceeding or collateral thereto as does not have the effect of finally disposing such case or proceeding." of

21. In section 49 of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely :---

"Provided that nothing in this section shall preclude the Assistant Collector from initiating proceedings under section 122-B of the Uttar Pradesh Z2mindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 in respect of any land possession over which has been delivered or deemed to be delivered to a Gaon Sabha under or in accordance with the provisions of this Act."

5 ...

Amendment of section 48 of U.P. Act no. V of 1954.

Amendment of section 49.

Amendment of section 36 of U. P. Act no. XI of 1956.

section 183.

Amendment of

# CHAPTER VI

Amendment of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960

Amendment of section 27 of U.P. Act no. 1 of 1961. 22. In section 27 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960—

(i) in sub-section (6), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) in the case of any settlement made or lease granted before November 10, 1980, before the expiry of a period of two years from the said date. and;

(b) in the case of any settlement made or lease granted on or after the said date, before the expiry of a period of five years from the date of such settlement or lease.";

(ii) after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(6-A) Where any surplus land has been settled by the Collector under sub-section (3), and any person other than the person in whose favour such settlement was made is in occupation of such land in contravention of the provisions of this Act, the Collector may, of his own motion and shall on the application of the person in whose favour such settlement was made, put him in possession of such land and may for that purpose use or cause to be used such force as he considers necessary.

(6-B) Where any person, after being evicted under this section, re-occupies the land or any part thereof without lawful authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years but which shall not be less than three months and also with fine which may extend to three thousand rupees:

Provided that the court convicting the accused may while passing the sentence direct that the whole or such portion of the fine that may be recovered as the court considers proper, be paid to the person in whose favour such settlement was made as damages for use and occupation.

(6-C) Where in any proceeding under sub-section (6-B), the court, at any stage after cognizance of the case has been taken is satisfied by affidavit or otherwise—

(a) that the accused is in occupation of the land to which such proceeding relates, in contravention of the provisions of the Act; and

(b) that the person in whose favour such settlement was made is entitled to the possession of such land;

the court may summarily evict the accused from such land pending the final determination of the case, and may put the person in whose favour such settlement was made in possession of such land.

(6-D) Where in any such proceeding, the accused is convicted the interim order passed under sub-section (6-C) shall be confirmed by the court.

(6-E) Where in any such proceeding, the accused is acquitted or discharged and the court is satisfied that the person so acquitted or discharged is entitled to be put back in possession over such land, the court shall, on the application of such person, direct that delivery of possession be made to him.

(6-F) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence punishable under sub-section (6-B) shall be cognizable and non-bailable and may be tried summarily.

(6-G) For the purpose of speedy trial of offences under this section, the State Government may, in consultation with the High Court, by notification, constitute, special courts consisting of an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, which shall, subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, exercise in relation to such offences the powers of a Judicial Magistrate of the first class."

C

# CHAPTER VII

# Amendment of the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Act, 1976

23. In section 2 of the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Act, 1976, hereinafter in this Chapter referred to as principal Act, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) 'Scheduled Village' means a village comprised in the transferred territories and specified in the Second Schedule."

In section 3 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "The Schedule" the words "the first Schedule" shall be substituted.

25. After section 3 of the principal Act, the following section shall be - F inserted, namely :-

"3-A. (1) Conferment of tenurial rights on certain occupants-Where any person is in occupation of any land, situate in a Scheduled village, on October 15, 1976 as well as on the date of commencement of this section, and such land is a land to which the provisions of section 132 or the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950-

(a) as ply such person shall, with effect from the date of such commencement become and be deemed to have become an asami holding land on behalf of the Gaon Sabha concerned ;

(b) do not apply, such person shall, with effect from the date of such commencement. become and be deemed to have become bhumidhar with transferable rights in respect of such land.

(2) The provisions of this section shall have effect, anything to the contrary contained in any law for the time being in force notwithstanding.

26. The existing Schedule to the principal Act, shall be re-numbered as the First Schedule, and after the First Schedule as so re-numbered, the following Schedule shall be inserted, namely :-

# "THE SECOND SCHEDULE

# (See SECTION 3-A)

# Names of the Scheduled villages

19.

16. Naubarar of 1873 appg.to Belsipan Bhikhanpura or Bhikharipura Я.

Naubarar I appg. to Sarwanpur 17.

2. Shahpur Dighwara 18. Naubarar I appg. to Palia

- Arazi Mafi Anjorpur 73.
- Sheopur Gangabarar -4.
- Bijaura Gangabarar -5.
- Sital Patti Gangabarar -6,
- Chaturbhujtari Gangabarar ~7.
- Govindpur Gangabarar 8.
- 9. Dangrabad
- 10, Bulapur

 $\tilde{f}^{(i)}$ 

- Hardeo Chhapra 11.
- Harsewak Chhapra **`12**,
- 13. Chaubechhapra
- Kaulapat Chhapra urf Dubeychh- 29. 14. apra.
- 15. Naubarar I appg. to Belsipah

Amendment of section 2 of U.P. Act 52 of 1976.

Amendment of section 3.

Insertion of section 3-A.

Insertion of the Second Schedule.

Paikauli 21.

20. Pandari

Sobhapur

- 22. Asmanpur
- 23. Govindpur
- 24. Chaturbhujpur
- 25. Alakh Diara
- 26. Pokhara
- Tola Bare Babu 27.
- **Tulapur II** Portion 28.
- Durjanpur
- Udhopur." 30.

# CHAPTER VIII

#### Miscellaneous

Transitory provision.<sup>10</sup> 27. Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950-

(a) all proceedings under section 122-B of the said Act as it existed immediately before the commencement of this section and pending before any officer, court or authority on the date of such commencement shall be disposed of in accordance with the provisions of the said Act as if this Act had not been passed ;

(b) all proceedings for the cancellation of allotment or lease of land under section 198 of the said Act as it existed on August 18, 1980 and pending before an officer, court or authority on the date of commencement of this section shall be disposed of in accordance with the provisions of the said Act as amended by this Act.

Repeal and savin gs, 28. (1) The Uttar Pradesh Land Laws (Second Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the enactments referred to in Chapters II, III, IV, V, VI and VII as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of such enactments as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

#### G. B. SINGH,

U. P. Or

na nce no

of 1981:

Sachiv.

षी 0 एस 0 यू 0 पी 0--ए 0 पी 0 100 सा0 (विधा 0)--21-8-82--(1562)--1982--900 (मेंक 0) ।